u20

खरीफ खरीद नीति 2014–15
संख्या 276/14–XIX-2/खरीफ–खरीद/02 खाद्य/2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक, मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन
संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादून, दिनाँक 29 सितम्बर, 2014**

विषयः खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्ग्रहण एवं क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 8–1/2014–एस.एण्ड.आई. दिनांक 01.09.2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 353/आ0वि0शा0/खरीफ–खरीद/2014–15 दिनांक 24.09.2014 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2014–15 में लेवी चावल खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 में प्रदेश के हकदार उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुरूप चावल की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 258/14–XIX-2/02 खाद्य/2014, दिनाँक 18.09.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत चावल का उद्ग्रहण और क्रयः–

2.1 खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में लेवी चावल का उद्ग्रहण समय–समय पर यथासंशोधित आदेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा। प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजनाओं की राज्य सरकार की वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप लेवी योजनान्तर्गत क्रय किया गया चावल तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये धान की कुटाई से प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल (Custom Milled Rice) स्टेट पूल में संग्रहीत किया जायेगा तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजकीय गोदामों के माध्यम से सीधे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत

PS- KNS (levy rice) 2014-15

उचित दर विक्रेताओं को निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 2.75 लाख मी0टन से अधिक क्रय की गयी चावल की मात्रा का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा।

खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 में उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत चावल मिलों से उनके द्वारा मूल्य समर्थन योजजनार्न्तगत क्रय किये गये धान से निर्मित चावल पर भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0–6–1/207–पी0वाई0III दिनॉक 07–07–2014 के अनुसार 25 % लेवी का उद्ग्रहण किया जायेगा। लेवी योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड में अन्य प्रदेशों से आने वाले धान की द्वितीय आवक की मात्रा का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिये कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा वाणिज्य कर विभाग से इसके सत्यापन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि प्रदेश के बाहर से आने वाले धान की द्वितीय आवक से सम्बन्धित प्रपत्रों (यथा 9–आर एवं बिल इत्यादि) का सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

2.2 खरीफ क्रय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स द्वारा 01–10–2014 से 31–03–2015 तक कय किये गये धान पर लेवी चावल का उद्ग्रहण व क्रय दिनॉक 01–11–2014 से प्रारम्भ होगा तथा लेवी चावल का सम्पद्रान 30–06–2015 तक किया जायेगा।

2.3 विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजना की चावल की मात्रा के सापेक्ष 74,000 मी0टन लेवी चावल की मात्रा स्टेट पूल में राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभागीय स्टेटपूल गोदामों में संग्रहीत करने के साथ–साथ एस0डब्लयू0सी0/सी0डब्लयू0सी0 के नियंत्रणाधीन गोदामों में भी संग्रहण एजेन्सियों के संरक्षण में संग्रहीत कराया जायेगा।

2.4 स्टेट पूल के अन्तर्गत संग्रहण एजेन्सियों के गोदामों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का चावल प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित स्टेट पूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक तथा संग्रहण ऐजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भण्डारण के उपरान्त चावल की गुणवत्ता,मात्रा एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संग्रहण एजेन्सी का होगा।

2.5 प्रदेश में स्थित राज्य भण्डारण निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ चावल का भण्डारण स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत किया जायेगा वहाँ खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा का स्टाफ तैनात किया जाएगा, जो चावल की मात्रा/गुणवत्ता की जाँचोपरान्त चावल का स्टॉक प्राप्त करेगा तथा उसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजनाओं के आवटंन के अनुरूप अपनी देख–रेख में निर्गत करेगा। इस निमित्त किसी अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी और वर्तमान स्टाफ से ही कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उद्ग्रहण एजेन्सी तथा क्रयः–

3.1 राज्य में स्थापित चावल मिलर्स से लेवी चावल के उद्ग्रहण का कार्य राज्य सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3.2 चूँकि खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु भारत सरकार से लेवी चावल की दरें अभी प्रतीक्षित हैं, अत्एव खरीफ–खरीद सत्र 2013–14 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–2(1)/2013-PY-I, दिनाँक 03–01–2014 द्वारा निर्धारित दरें ही उत्तराखण्ड राज्य हेतु खरीफ विपणन सत्र 2014–15 के लिये अनुमन्य होंगी। खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु भारत सरकार से लेवी चावल के मूल्य प्राप्त होने पर तद्नुसार संसूचित किया जायेगा। खरीफ–खरीद वर्ष 2013–14 की लेवी चावल की दरें निम्नवत निर्धारित है :–

किस्म चावल	अरवा रूपये प्रति कुंटल	सेला रूपये प्रति कुंटल
कॉमन	2117.50	2201.20
ग्रेड–ए	2171.00	2155.00

टिप्पणी :–

क– ऊपर दिये गये मूल्य में चावल खरीद पर भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट आरोपित होने वाले समस्त कर तथा चावल मिलों से भारतीय खाद्य निगम/स्टेटपूल डिपो तक लेवी चावल की डिलीवरी हेतु 08 किलोमीटर तक की दूरी के लिए फारवर्डिंग तथा परिवहन चार्ज भी सम्मिलित हैं। 08 किमी0 से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु अनुमन्य स्थानीय परिवहन दरें तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, चावल मिलर्स को अनुमन्य होगीं ।

ख– उपरोक्त लेवी चावल के मूल्य में 50 किग्रा0 भरती के दो नये बोरों का मूल्य भी सम्मिलित है । चावल मिलों को बोरे के मूल्य की पृथक से कोई धनराशि की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

3.3 **स्टेटपूल योजना में चावल की अधिकतम संग्रह की जाने वाली मात्रा 2.75 लाख मी0टन होगी जिसमें मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत कृषको से सीधे तथा कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित 2.01 लाख मी0टन कस्टम मिल्ड चावल (Custom Milled Rice) तथा राज्य के चावल मिलर्स से खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में लेवी योजनार्न्तगत क्रय किये गये 0.74 लाख मी0टन चावल की मात्रा भी सम्मिलित होगी। विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अर्न्तगत स्टेटपूल योजना में लेवी चावल के क्रय हेतु सम्भागवार मासिक लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–**

कम संख्या	माह का नाम	सम्भागवार चावल कय का लक्ष्य (मात्रा मी0टन में)		योग
		कुमायूँ सम्भाग	गढवाल सम्भाग	
1	नवम्बर, 2014	20,000.00	5,000.00	25,000.00
2	दिसम्बर, 2014	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3	जनवरी, 2015	10,000.00	2,000.00	13,000.00
4	फरवरी, 2015	10,000.00	2,000.00	12,000.00
योगः–		60,000.00	14,000.00	74,000.00
मूल्य समर्थन योजनार्न्तगत मिलने वाले सम्भावित कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा				2,01,000.00
महायोगः–				2,75,000.00

स्टेटपूल योजना में उपरोक्तानुसार लेवी चावल एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान से निर्मित **कस्टम मिल्ड चावल** (Custom Milled Rice) की मात्रा सम्मिलित है । **इस वर्ष राज्य में** क्रय **संस्थाओं के माध्यम से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय करने के साथ–साथ कच्चा आढ़तिया के माध्यम से भी धान क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्थाओं हेतु (खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग एवम् सहकारिता विभाग) 3.00 लाख मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे अनुमानित 2.01 लाख मी0टन कस्टम मिल्ड चावल** (Custom Milled Rice) **प्राप्त होगा। लेवी योजनान्तर्गत 74,000 मी0टन लेवी चावल क्रय का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है ।**

सम्भागों हेतु लेवी योजनान्तर्गत निर्धारित उपरोक्त लक्ष्य से अधिक चावल की मात्रा का क्रय स्टेटपूल योजना हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। यदि कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा से राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वार्षिक चावल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो तद्नुसार समीक्षा उपरान्त लेवी योजनान्तर्गत चावल क्रय का लक्ष्य खाद्य आयुक्त की संस्तुति पर शासन द्वारा बढाया जा सकेगा । सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक एवम् उपसम्भागीय विपणन अधिकारी इस सम्बन्ध में केन्द्रों पर नियमित धान / चावल क्रय का नियमित पर्यवेक्षण / निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

3.4 लेवी योजना के अधीन राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स से चावल का क्रय उत्तराखण्ड चावल मिल (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008 (यथासंशोधित) में विहित सांविधिक सीमा के भीतर किया जायेगा ।

3.5 लेवी योजनान्तर्गत चावल मिलों से किसी भी दशा में कोई अग्रिम लेवी का उद्ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

3.6 सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों तथा उपसम्भागीय विपणन अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं (Other Welfare Schemes) में निर्गत चावल किसी भी प्रकार लेवी चावल के रूप में **recycle** न होनें पाये। जिन चावल मिलर्स को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जायेगा, उन्हें काली सूची में रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उनके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी । ऐसी चावल मिलों से लेवी योजनान्तर्गत चावल का क्रय कदापि नहीं किया जायेगा।

4– लेवी की दर :–

4.1 चावल का क्रय चावल मिलों पर लेवी लगाकर किया जायेगा। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लेवी की दर भारत सरकार के आदेशानुसार खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु 25 प्रतिशत रहेगी।

4.2 लेवी चावल का क्रय उन्हीं चावल मिलों से किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 0.5 मी0टन प्रति घंटा हो एवं जिसमें निम्नलिखित मशीनरी स्थापित हो :–

1. पैडी क्लीनर
2. रबर रोल सेलर या सेन्ट्रीफयूगल डिहस्कर
3. पैडी सेपरेटर
4. पॉलिशर

4.3 लेवी चावल का क्रय उत्तराखण्ड में स्थापित ऐसी चावल मिलों से सुनिश्चित किया जायेगा जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हो तथा जिनको मण्डी समिति का वैध लाइसेन्स प्रदत्त हो।

4.4 व्यापारियों से लेवी कदापि नहीं ली जायेगी तथा जिस धान/चावल पर चावल मिल द्वारा लेवी उद्ग्रहित की जा चुकी हो उस पर दोबारा लेवी नहीं ली जायेगी।

4.1 **उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत चावल मिलर्स द्वारा कृषकों से क्रय किये गये धान का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या–5(10)/2010–पी0वाई0.I दिनॉक 11–07–2014 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार एकांउण्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा तथा क्रय धान से उत्पादित चावल पर निर्धारित 25 प्रतिशत लेवी चावल का उद्ग्रहण किया जायेगा ।**

4.2 निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल पूर्णतः लेवी मुक्त रहेगा तथा अन्य प्रकार के केवल निर्यात किये जाने वाले चावल की मात्रा को भी लेवी से पूर्णतः मुक्त रखा जायेगा।

5 **<u>बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल के संचरण की व्यवस्था</u>** :–

बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल का निर्यात करने वाली इकाइयों को संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी।

इसके अतिरिक्त बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल की गैर निर्यातक इकाइयों जिनके द्वारा बासमती तथा पूसा बासमती का विक्रय स्थानीय बाजार में किया जाता है, के लिये उक्त बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के संचरण हेतु संचरण प्रमाण पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देने की व्यवस्था होगी। बासमती/पूसा बासमती (1) चावल के निर्यातकों/उत्पादकों को उनके द्वारा प्रत्येक माह में निर्यात/उत्पादित/बिक्री किये गये चावल के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप **(संलग्न–1)** में घोषणा पत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह तक सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के माध्यम से खाद्य आयुक्त/शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5(क) प्रदेश में सेला चावल की खपत न होने के कारण स्टेट पूल में सेला चावल स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेला चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा ग्रहण किया जायेगा। स्टेट पूल में सेला चावल के बदले अरवा चावल दिया जा सकता है।

5(ख) स्टेट पूल में चावल का क्रय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किया जाता है, जिसमें यथा सम्भव कॉमन चावल की आवश्यकता होती है। अतएव ग्रेड–ए चावल के बदले लेवी में कॉमन अरवा चावल लिया जा सकता

6 <u>अवमुक्त चावल का निस्तारण</u> :–

चावल मिलर्स अपने अवमुक्त चावल के भाग को खुले बाजार में रिलीज सर्टिफिकेट के आधार पर विक्रय कर सकते हैं।

7 <u>चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ</u> :–

(क) खरीफ–खरीद वर्ष 2014–15 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 8–1/2014–S&I दिनाँक 01–09–2014 द्वारा चावल खरीद हेतु गुण–विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं, जो निम्नवत है :–

(विपणन सत्र 2014–15)

चावल ठोस, बिक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्व, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूँदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सममिश्रण किसी भी रूप में आर्जिमोन मैक्सीकाना और किसी रूप में लैथिरिस सैटिवस (खेसरी) अथवा रंजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूचियों में दी गयी सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा:–

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र0सं0	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	
	टोटा *	ग्रेड–ए	सामान्य
1	अरवा	25.0	25.0
	सेला / एकल सेला	16.0	16.0
2	विजातीय तत्व **		
	अरवा / सेला / एकल सेला	0.5	0.5
3	**क्षतिग्रस्त # / मामूली क्षतिग्रस्त दानें**		
	अरवा	3.0	3.0
	सेला / एकल सेला	4.0	4.0
4	**बदरंग दानें**		
	अरवा	3.0	3.0
	सेला / एकल सेला	5.0	5.0
5	**चाकी दानें**		
	अरवा	5.0	5.0
6	**लाल दानें** :– अरवा / सेला / एकल सेला	3.0	3.0
7	**निम्नश्रेणी का सम्मिश्रण** :– अरवा / सेला / एकल सेला	6.0	--
8	**चोकर सहित दानें** :– अरवा / सेला / एकल सेला	13.0	13.0
9	**नमी तत्व** :– अरवा / सेला / एकल सेला	14.0	14.0

* 1 प्रतिशत छोटे टोटे सहित।

** भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीव–जनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

\# पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित।

उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण भारतीय मानक ब्यूरो की समय–समय पर यथासंशोधित **"खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि** "संख्या–आई0एस0– 4333 (भाग–1)–1996 और आई0एस0–4333 (भाग–2) 2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली– 2813–1995 में किये गये उल्लेख के अनुसार किया जाना है। चोकरयुक्त दाने साबूत अथवा टूटे चावल के वे दाने होते हैं, जिनके सतही क्षेत्र का एक–चौथाई से अधिक चोकर से ढका होता है और इनका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

विश्लेषण प्रक्रिया :–

(1) पैट्री डिश (80 x 70 मि0मी0) में 05 ग्राम चावल (साबूत चावल और टोटा) लें। मैथीलिन के नीले धोल में (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) के लगभग 20 मि0ली0 में इन दानों को डुबायें और लगभग एक मिनट तक रहने दें। मैथीलिन के नीले घोल को निथारकर निकाल दें। लगभग 20 मि0ली0 तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल (आसवित जल में आयतन द्वारा 5 प्रतिशत का घोल) के साथ घुमाकर धोयें। पानी में घुमाकर धोंये और नीले रंजित दानों पर लगभग 20 मि0ली0 मैटानिल के येलो घोल (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) को डालें और लगभग 1 मिनट रहने दें। एफल्यूएंट को निथारकर निकाल दें और 2 बार ताजे पानी से धोएं। रंजित दानों को ताजे पानी में रखें और चोकरयुक्त दानों की गणना करें। विश्लेषण किए जा रहे नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या गिनें। 3 टूटे दानों की गणना एक साबुत दाने के रूप में की जाती है।

गणना :–

$$\text{चोकरयुक्त दानों का प्रतिशत} = \frac{\text{एन} \times 100}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहाँ एन = नमूने के 05 ग्राम के चोकरयुक्त दानों की संख्या,
डब्ल्यू = नमूने के 05 ग्राम में दानों की कुल संख्यां।

(2) नमूने लेने की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की ''अनाजों और दालों का नमूना लेने की विधि'' संख्या–आई0एस0–14818–2000 में दी गयी विधि के अनुसार किया जायेगा।

(3) पूरे साबुत दाने के आकार के 8 वें हिस्से से छोटा टोटा कार्बनिक विजातीय तत्व के रूप में समझा जायेगा। टोटे की औसत लम्बाई के आकार का निर्धारण करने के लिये चावल के मूल श्रेणी की लम्बाई को हिसाब में लिया जायेगा।

(4) चावल की किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि वह अधिक हो, तो स्टॉक को साफ किया जायेगा और उसे सीमा के अन्दर लाया लायेगा। चावल की सतह पर मिट्टी लगे दानों या दानों के टुकडों को अकार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जायेगा।

(5) दबाव अघोषणा तकनीक से तैयार किये गये सेला चावल की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अघोषण करने की सही प्रक्रिया अपनायी गयी है अर्थात प्रेषण करने से पूर्व डाला गया दबाव, समय जब तक दबाव डाला गया है, समुचित शष्लेषण वातन और शुष्कन इतना पर्याप्त हो, जिससे कि सेला चावल का रंग और पकाने का समय अच्छा हो और दानों की पपड़ी से मुक्त हो।

8. **लेवी चावल खरीद का लक्ष्य तथा भण्डारण** :–

खरीफ खरीद सत्र 2014–15 में राज्य सरकार, चावल मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल की मात्रा पर 25 प्रतिशत सीमा तक दिनाँक 30–06–2015 तक उद्ग्रहण करेगी ।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0,बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजनाओं की राज्य की चावल की कुल वार्षिक आवश्यकता अनुमानित 2.75 लाख मी0टन है। प्रदेश में खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं/कच्चा आढ़तिया हेतु धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 3.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है, जिसमें खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग एवम् सहकारिता विभाग हेतु 0.55 लाख मी0टन तथा 2.45 लाख मी0टन कच्चा आढ़तिया के माध्यम से खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु क्रय का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 2.01 लाख मी0टन कस्टम मिल्ड चावल (**Custom Milled Rice**) प्राप्त होना सम्भावित है, जो कि स्टेटपूल योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरण हेतु भण्डारित किया जायेगा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वार्षिक आवश्यकता के लिए अवशेष 0.74 लाख मी0टन चावल की पूर्ति राज्य में स्थापित चावल मिलर्स से उनके द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत निर्धारित दरों पर क्रय किये गये धान से प्राप्त चावल की मात्रा पर 25 प्रतिशत लेवी की दर से उद्ग्रहित कर स्टेटपूल योजना में संग्रहीत किया जायेगा। स्टेटपूल योजना में लक्ष्य की पूर्ति होने पर आवश्यकता से अधिक उद्ग्रहित लेवी चावल की मात्रा केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान की जायेगी।

9 <u>अवशेष सी0एम0आर0 की वसूली :–</u>

ऐसी चावल मिलों से लेवी योजनान्तर्गत चावल का क्रय नहीं किया जायेगा जिन चावल मिलर द्वारा गत वर्षों का समस्त बकाया सी0एम0आर0/विभागीय बोरे विभाग को वापस न दे दिये गये हों।

10 <u>चावल का संग्रह एजेन्सी को सम्प्रदान एवं मिलर को भुगतान :–</u>

10.1 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में अपने सम्भाग में केन्द्र पर कार्यरत चावल मिलों की वास्तविक कुटाई क्षमता के आधार पर लेवी चावल हेतु लाटों का निर्धारण करेंगे और तद्नुसार स्टेटपूल डिपो हेतु संचरण प्रोग्राम निर्गत करेगे। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत अपने सम्भाग हेतु प्रस्तर–3.3 के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप केन्द्रवार चावल क्रय का लक्ष्य भी निर्धारित करेगें।

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक अपने सम्भाग में केन्द्रवार चावल मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान से निर्मित चावल की नियमित समीक्षा करेगें। खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत लेवी के आधार पर स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित मासिक लक्ष्य से अधिक उत्पादित चावल की मात्रा का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

10.2 केन्द्रीय पूल तथा स्टेट पूल में चावल के सम्प्रदान/संग्रहण हेतु जनपद में उपलब्ध भारतीय खाद्य निगम/एस0डब्लू0सी0/सी0डब्लू0सी0 की भण्डारण क्षमता व मूवमेंट प्लान के अनुरूप चावल मिलों को गोदामों से सम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गोदामो में लेवी चावल की सुचारू सम्प्रदान हेतु वहाँ प्रतिदिन ट्रकों को उतारने की क्षमता को ध्यान में रखकर रोस्टर तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रति खाद्य आयुक्त/शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी उक्त रोस्टर प्लान के अनुसार ही चावल मिलर्स को मूवमेंट चालान जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे। केन्द्र प्रभारियों द्वारा यदि लेवी चावल/सी0एम0आर0 गुण–विनिर्दिष्टियॉ सुनिश्चित किये बिना एवं बिना ट्रकों में लोड हुए मूवमैन्ट चालान चावल मिलर्स को अग्रिम रूप से निर्गत किये जाने की दशा में सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों/विपणन निरीक्षकों के विरूद्व कठोरतम अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

10.3 चावल मिलर द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपनी मिल में निर्मित चावल के 25 प्रतिशत लेवी अंश का ऑफर सम्बन्धित केन्द्र के केन्द्र प्रभारी को दिया जायेगा। मिलर द्वारा तैयार चावल का ऑफर केन्द्र प्रभारी को प्राप्त होने के उपरान्त उसे निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियाँ के अनुरूप पाये जाने पर सम्बन्धित संग्रह एजेन्सी के डिपो पर सम्प्रदान हेतु मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने उपरान्त उसका मूवमेंट चालान **(संलग्न–2)** जारी किया जायेगा।

लेवी योजनार्न्तगत चावल क्रय का कार्य संग्रह एजेंसी के डिपो पर निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सम्प्रदान के बाद ही पूर्ण माना जायेगा। संग्रहण एजेन्सियों तथा केन्द्र प्रभारियों द्वारा अपने–अपने संग्रहण डिपो एवं केन्द्रों पर कस्टम मिल्ड चावल एवम लेवी चावल का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा।

10.4 मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का दायित्व होगा कि जो चावल की लाट लेवी योजनान्तर्गत केन्द्रीय/विकेन्द्रीकृत योजना में संग्रहण हेतु क्रय की जा रही है, उसके उद्ग्रहण में परिदत्त चावल के चार नमूने आहरित किये जायेंगे, उसे मोहर बंद कर एक नमूना चावल मिल मालिक या उसे प्रतिनिधि के समक्ष विश्लेषण किया जायेगा और दो नमूने सम्भागीय विश्लेषणशाला को भेज दिये जायेंगे तथा अवशेष एक नमूना क्रय केन्द्र पर ही सुरक्षित रखा जायेगा, जब तक कि खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 निर्विवाद रूप से सम्पन्न न हो जाये। सम्भागीय विश्लेषणशाला में प्राप्त दो नमूनों मे से एक नमूने का विश्लेषण साप्ताहिक रूप से करने उपरान्त विश्लेषण रिपोर्ट केन्द्रवार/मिलवार खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेगी तथा एक नमूना खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 निर्विवाद रूप से सम्पन्न होने तक सुरक्षित रखा जायेगा।

10.5 इस प्रकार चावल मिलर्स द्वारा ऑफर किये गये लेवी चावल को सम्बन्धित मिल के गोदाम से सीधे निर्दिष्ट संग्रह एजेन्सी के डिपो पर सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा जारी संचरण प्रोग्राम के अनुसार संचरण कराया जायेगा। चावल मिलर के गोदाम से संग्रह एजेन्सी के डिपो तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा ही सम्पादित कराया जायेगा। चावल परिवहन के दौरान राज्य सरकार को कोई हानि या क्षति (बोरों की संख्या/वजन एवम् बोरों के अधोमानक पाये जाने की स्थिति में) होती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर चावल मिलर्स द्वारा प्रस्तुत देयकों से सुनिश्चित की जायेगी।

10.6 यदि लेवी चावल के किसी लाट को गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर संग्रह एजेन्सी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो मिलर उसे अपनी लेवी मुक्त अंश से तत्काल बदल देगा। सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि

वह अस्वीकृत लाट के मूल्य व श्रेणी के समतुल्य नया लाट मिलर के अवमुक्त अंश से लेगा। इस प्रक्रिया में होने वाले परिवहन/हैण्डलिंग व्यय, हानि/बोरों की हानि तथा अन्य अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता चावल मिलर द्वारा वहन किया जायेगा।

10.7 लेवी चावल से भरा हुआ प्रत्येक ट्रक जो संग्रह एजेन्सी के डिपो पर सम्प्रदान हेतु जायेगा, उसकी प्रविष्टि संग्रह एजेन्सी के गेट/इन्ट्री रजिस्टर में अनिवार्यतः की जायेगी। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर भेजा गया कोई भी ट्रक किसी भी दशा में बिना गेट इन्ट्री रजिस्टर में दर्ज हुए तथा उसके बिना वजन लिये वापस नहीं किया जायेगा।

10.8 भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर चावल सम्पद्रान किये जाने की दशा में एक लाट के सम्प्रदान के उपरान्त भारतीय खाद्य निगम से उसके मूल्य का भुगतान प्राप्त होने पर सम्बन्धित चावल मिलर को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

10.9 स्टेट पूल योजनार्न्तगत संग्रह ऐजेन्सी को मिलर/परिवहन कर्ता द्वारा चावल की लाट सीधे प्रदान करने के पश्चात चावल के मूल्य का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित दरों पर अन्य व्यय का भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी द्वारा मिलर को संग्रह एजेन्सी में प्राप्त किये गये मूवमैंट चालान की स्वीकृति और सम्बन्धित प्रेषणकर्ता केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा भेजे गये विपत्रों के आधार पर अभिस्वीकृति पत्र के साथ किया जायेगा। यदि संग्रह ऐजेन्सी पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा जारी किये गये इकनॉलेजमेन्ट के आधार पर गुण–विनिर्दिष्टियाँ या प्रासंगिक व्यय की किसी मद में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई कटौती की जाती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति ब्याज सहित सम्बन्धित मिलर के आगामी बिलों/देयकों से सुनिश्चित की जायेगी।

10.10 **(क)** प्रभावी एवं सुचारू रूप से चावल खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चावल मिल को विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को देगा।

10.10 **(ख)** केन्द्र प्रभारी स्वयं अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

10.10 **(ग)** उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित चावल मिल के गोदाम में संग्रहित लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगा और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

10.10 **(घ)** सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चावल मिलों में उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

10.10 **(च)** सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मिल परिसर में लेवी चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक स्वयं रेण्डम आधार पर 05 प्रतिशत चावल मिलों में सरकारी चावल के स्टॉक का सत्यापन करेंगे।

10.10 **(छ)** समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल उस मिल या अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित लेवी चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

10.10 **(ज)** उत्पादित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के गोदाम में उत्पादित/संग्रहीत लेवी चावल के स्टॉक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर चावल मिलों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

10.11 केन्द्रीय पूल हेतु सम्प्रदान किये गये चावल का संग्रहण डिपो पर गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में क्रय केन्द्र से प्रेषित की गयी लाट का संयुक्त विश्लेषण भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सहायक एवं खाद्य विभाग के प्रेषणकर्ता केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से उपसम्भागीय विपणन अधिकारी के समक्ष किया जायेगा।

10.12 खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में क्रय/प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र **(संलग्नक– 3–अ एवं 3–ब)** पर अपने केन्द्र पर क्रय/प्राप्त किये गये चावल की पंजिका संरक्षित की जायेगी। इस प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य स्वयं निर्मित प्रारूप पर कदापि सूचना नहीं रखी जायेगी। इसी प्रारूप पर विकेन्द्रीयकृत योजना के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता स्टेट पूल प्रभारियों द्वारा भी पंजिका रखी जायेगी।

10.13 भुगतान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्बन्धित सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा, यदि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी भी अनियमितता अथवा दुर्विनियोग के कारण शासन को हानि होती है तो इस हेतु उक्त अधिकारी/ कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी/सहायक वित्त अधिकारी (खाद्य) चावल मिलर्स को भुगतान तथा संग्रह एजेन्सी से प्राप्त भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजेंगे।

10.14 प्रत्येक स्टेट पूल डिपो प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्टैक पंजिका अनुरक्षित की जायेगी।

10.15 राज्य भण्डारण निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं विभागीय स्टेटपूल गोदामों में प्राप्त होने वाले लेवी चावल/सी0एम0आर0 की गुणवत्ता के लिये संग्रहण एजेन्सी के साथ–साथ सम्बन्धित स्टेटपूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. राज्य सरकार की संग्रह एजेन्सियों तथा भारतीय खाद्य निगम को लेवी चावल का सम्प्रदान :–

11.1 विकेन्द्रीकृत लेवी चावल की क्रय की व्यवस्था के अन्तर्गत लेवी चावल का सम्प्रदान संग्रह एजेन्सी को किया जायेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य सरकार की आवश्यकता की मात्रा के अनुरूप चावल का संग्रह राज्य सरकार की संग्रह एजेन्सियों के गोदामों में किया जायेगा। राज्य सरकार की आवश्यकता से अधिक जो चावल क्रय किया जायेगा, उसका सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा। स्टेट पूल में भण्डारित किये जाने वाले लेवी/कस्टम मिल्ड चावल का सम्भागवार/जनपदवार ब्रेकअप सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा सम्भाग/जनपद में चावल के उत्पादन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सेकेण्डरी मूवमैन्ट में न्यूनतम परिवहन कराना पड़े।

11.2 गढ़वाल सम्भाग में लेवी चावल की खरीद लगभग नगण्य है एवम् गढ़वाल सम्भाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत चावल की आपूर्ति के लिये पूर्ण रूप से कुमायूँ सम्भाग में क्रय किये चावल पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी सर्वप्रथम गढ़वाल सम्भाग हेतु चावल की आपूर्ति सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,गढवाल सम्भाग,देहरादून की मॉग पर गढ़वाल सम्भाग के निकटतम क्रय केन्द्रों से करना सुनिश्चित करेंगे तथा निकटतम केन्द्रों पर चावल की अनुपलब्धता की दशा में ही अन्य केन्द्रों, दूरी को दृष्टिगत रखते हुये, से चावल का संचरण करना सुनिश्चित करेंगें, ताकि राज्य सरकार को परिवहन मद में अतिरिक्त व्यय भार वहन न करना पड़े।

11.3 लेवी चावल क्रय की व्यवस्था, चावल मिलों/क्रय केन्द्रों का कोडीफिकेशन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने स्तर से कार्यवाही करेगें एवं इसकी सूचना खाद्यायुक्त एवं शासन को प्रेषित करेगें।

12 चावल की तौलाई :–

संग्रह एजेन्सी के डिपो पर चावल का ट्रक भेजने के पूर्व प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी द्वारा ट्रक में लदे चावल का वजन उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये धर्म काँटे पर कराकर प्राप्त वजन की रसीद को सम्यक रूप से सत्यापित कर मूवमेन्ट चालान के साथ संग्रह ऐजेन्सी को भेजा जायेगा। रसीद की दूसरी प्रति ट्रक ड्राइवर मिलर की ओर से अपने पास सुरक्षित रखेगा। संग्रह ऐजेन्सी के डिपो पर ट्रक का वजन करने पर यदि बोरों में वजन में कोई अन्तर पाया जाता है या वजन में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी द्वारा ट्रक में लोड की गयी लाट से रैण्डम आधार पर बोरे उतारकर 10 प्रतिशत बोरों का वजन कराया जायेगा और इस सम्बन्ध में वहॉ तैनात विधिक माप विज्ञान निरीक्षक को सूचित किया जायेगा, जो सम्बन्धित धर्म काँटे पर जाकर उसका निरीक्षण करेगा और जाँच में जो वजन सही पाया जायेगा, वही अन्तिम माना जायेगा।

13 प्रदेश के बाहर चावल का संचरण :–

चावल मिलर्स द्वारा 25 प्रतिशत लेवी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के पश्चात शेष 75 प्रतिशत अवमुक्त व्यापारी भाग को चावल मिलर द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य

अथवा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वरिष्ठ विपणन निरीक्षक द्वारा निर्गत रिलीज प्रमाण पत्र के आधार पर संचरण किया जायेगा।

14 **चावल की खरीद के लिये लाट का निर्धारण :–**

समस्त केन्द्रों पर केन्द्रीय पूल (भारतीय खाद्य निगम) हेतु 50 किग्रा की भरती वाले नये एस0बी0टी0 बोरों में 270 कुंटल/540 कट्टों की लाटों में चावल की खरीद की जायेगी तथा स्टेटपूल हेतु 50 किग्रा की भरती वाले नये एस0बी0टी0 बोरों में 150 कुंटल/300 कट्टों की लाटों में चावल की खरीद की जायेगी एवम् लेवी चावल का संचरण परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। संग्रह ऐजेन्सी को डिलीवरी में प्रत्येक स्तर पर "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" का सिद्धांत अपनाया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर चावल मिलों से लाट ऑफर की एक "प्राथमिकता–पंजिका" केन्द्र प्रभारी द्वारा संरक्षित रखी जायेगी।

15 **संग्रह एजेन्सी के डिपो पर चावल की गुणवत्ता की जाँच :–**

यदि सम्प्रदान के लिये प्रेषित किये गये चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित प्राप्तकर्ता स्टेट पूल डिपो प्रभारी के अनुरोध पर प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी, सम्बन्धित संग्रह एजेन्सी के डिपो प्रभारी द्वारा इसका संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा तथा इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उपसम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को दी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी इस निमित्त तत्काल उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को पर्यवेक्षण हेतु भेजा जायेगा।

जहाँ पर विभागीय गोदामों को स्टेटपूल गोदाम घोषित किया गया है, वहाँ पर यदि गुणवत्ता सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राप्तकर्ता स्टेट पूल डिपो प्रभारी तत्काल इसकी सूचना प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी को देगा ताकि संयुक्त रूप से चावल का विश्लेषण किया जा सके। प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी द्वारा इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/ सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को भी अनिवार्य रूप से दी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक इस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को मौके पर भेजकर निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

16 **लेवी योजनान्तर्गत क्रय किये गये चावल का निस्तारण :–**

16.1 संग्रह ऐजेन्सी द्वारा चावल की कोई लाट भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियाँ के अनुरूप न पाये जाने पर अस्वीकार कर दिये जाने के कारण सम्प्रदान नहीं हो पाती है तो उस लाट के मूल्य तथा श्रेणी के समतुल्य चावल की मात्रा सम्बन्धित मिलर से उसके अवमुक्त अंश (रिलीज शेयर) में से प्रतिस्थापन लाट से लिया जायेगा और उसे संग्रह एजेन्सी को दे दिया जायेगा। इस प्रक्रिया में होने वाली पारगमन हानि, बोरों आदि की हानि या अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित मिलर द्वारा वहन किया जायेगा। संग्रह एजेन्सी के डिपो पर मिलर द्वारा प्रेषित लाट के अस्वीकृत होने की दशा में मिलर को उस लाट के मिल गोदाम से संग्रह ऐजेन्सी के डिपो तक आने–जाने में होने वाले परिवहन व्यय का भुगतान भी कदापि नही किया जायेगा ।

16.2 यदि स्टेटपूल योजनान्तर्गत खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के घोषित विभागीय स्टेटपूल गोदामों में लेवी योजनार्न्तगत प्राप्त किये गये संग्रहीत चावल की गुणवत्ता डिपो

प्रभारी/केन्द्र प्रभारी की लापरवाही बरतने के कारण कालान्तर में खराब होने पर जन वितरण के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है तो उक्त चावल का निस्तारण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा विलम्बतम एक पक्ष में समिति का गठन कर कमर्शियल सेल के माध्यम से करा दिया जायेगा तथा चावल के इकॉनामिक कास्ट एवं कमर्शियल सेल के अर्न्तमूल्य की वसूली गुण दोष के आधार पर सम्बन्धित प्राप्त कर्ता केन्द्र प्रभारी एवं डिपो प्रभारी (वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक) से सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार स्टेटपूल योजनान्तर्गत सी0डब्ल्यू0सी0/एस0डब्ल्यू0सी0 के गोदामों में संग्रहीत चावल की गुणवत्ता खराब होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संग्रहण एजेन्सी की होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित भण्डारण एजेन्सी से की जायेगी।

16.3 प्राप्त कर्ता स्टेट पूल डिपो/केन्द्र प्रभारी द्वारा निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अस्वीकृत की गयी लेवी चावल की लाटों की केन्द्रवार सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को साप्ताहिक रूप से दी जायेगी। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेट पूल डिपो की अस्वीकृत लाटों की संकलित सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। अस्वीकृत लाटों के आधार पर खाद्यायुक्त द्वारा प्रेषण कर्ता वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17 **<u>क्रय केन्द्र से सग्रंह एजेन्सी तक चावल का परिवहन</u>** :-

मिल गोदाम से सग्रंह ऐजेन्सी के इंगित डिपो तक चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा जिसके लिये परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा खरीफ खरीद वर्ष 2014-2015 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकॅलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से सग्रंह ऐजेन्सी के डिपों तक के लिये मूवमेन्ट प्लान के अनुसार डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी । भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम 08 किलोमीटर तक के लिये कोई परिवहन व्यय अनुमन्य नही होगा। स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत संग्रह गोदाम से वितरण गोदाम तक कस्टम मिल्ड चावल एवं लेवी चावल का मूवमेन्ट प्लान संभाग के अर्न्तगत चावल की आवश्यकता के अनुसार संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

स्टेट पूल योजना के अर्न्तगत विभिन्न एजेन्सियों के गोदामों में संग्रहीत किये जाने वाले चावल के भण्डारण व्यवस्था तथा इस हेतु गोदामों का केन्द्रों से सम्बद्वीकरण तथा चावल के मूवमैन्ट की कार्यवाही मितव्ययता के आधार पर की जायेगी। इसे दो चरणों में पूर्ण किया जायेगा सर्वप्रथम भण्डारण व्यवस्था दोनों सम्भागों के बेस गोदाम से सम्बद्व घोषित स्टेटपूल डिपो पर किया जायेगा ताकि आवंटन के अनुरूप प्रथम चरण में प्राप्ति संभाग के जिन स्थानों/जिलों में गोदाम क्षमता रिक्त है वहॉ सर्वप्रथम पर्वतीय अँचल के दूरस्थ गोदामों हेतु चावल का प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके तत्पश्चात मैदानी क्षेत्र के बेस गोदामों पर संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

चूँकि गढवाल संभाग में चावल का उत्पादन कुमॉयू सम्भाग की अपेक्षा कम होता है तथा गढवाल संभाग पूर्णतः कुमायूँ संभाग में उत्पादित चावल पर ही निर्भर है, ऐसी स्थिति में संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ संभाग द्वारा समय-समय पर संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल से सम्पर्क कर चावल के प्रेषण का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा । सम्भागीय खाद्य नियत्रक, कुमायूँ का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्ति संभाग अर्थात सभांगीय खाद्य नियंत्रक गढवाल संभाग की मॉग के अनुरूप चावल का प्रेषण सुचारू रूप से सुनिश्चित

करायेंगें ताकि पर्वतीय क्षेत्र के आन्तरिक गोदामों पर सार्वजनिक वितरण प्रभावित न होने पाये ।

प्रथम भण्डारण आवश्यकता के पूर्ण होते ही द्वितीय भण्डारण व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी । यह भण्डारण व्यवस्था स्टैटिक ना होकर डायनमिक होगी, अतएव इसे आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड की अनुमित के पश्चात ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने कार्य क्षेत्र में एक जनपद से दूसरे जनपद के लिये चावल का संचरण मितव्ययता के आधार पर करेगें ।

चावल मिलर, जो कि लेवी योजना के अन्तर्गत अपनी चावल की लाटों के संचरण हेतु परिवहन ठेकेदार भी है, द्वारा कुमायूँ सम्भाग से गढ़वाल सम्भाग के स्टेटपूल डिपोज पर चावल का संचरण कराने की दशा में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र भी मूवमैंट चालान के साथ संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे। प्राप्तकर्ता स्टेट पूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा इन प्रपत्रों का भली भाँति अवलोकन करने के उपरान्त ही चावल की प्राप्ति स्वीकार की जायेगी। यदि भविष्य में किसी केन्द्र पर बिना वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्रों के बिना चावल की प्राप्ति स्वीकार किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसके लिये प्राप्तकर्ता वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक एवं सम्बन्धित राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा लेवी योजनान्तर्गत स्टेटपूल योजना में क्रय किये गये चावल का लेखा जोखा इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेटपूल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल का प्रेषण न होने पावे। क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा जिस संग्रह एजेन्सी के डिपो के लिये लेवी/कस्टम मिल्ड चावल का मूवमैन्ट चालान निर्गत किया जायेगा चावल उसी निर्दिष्ट सग्रंह डिपो पर डिलीवर किया जायेगा। मूवमेन्ट चालानों पर किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग अनुमन्य नहीं होगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा कटिंग/ओवरराइटिंग वाले मूवमेन्ट चालानों पर कदापि मिलर्स को भुगतान नहीं किया जायेगा एवं इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में स्टेटपूल डिपोज पर ऐसे कार्मिकों की तैनाती कदापि नहीं की जायेगी, जो विगत वर्षों में खरीफ–खरीद योजना में अनियमितता बरतने पर दण्डित किये गये हों अथवा जिनके विरूद्ध कोई भी विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो।

18 <u>प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति :–</u>

खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में प्रासंगिक व्यय की जो दरें भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी, उसी के अनुसार प्रासंगिक व्यय का भुगतान सम्बन्धित को किया जायेगा।

19 <u>चावल खरीद हेतु खाली बोरों की व्यवस्था :–</u>

खरीफ–खरीद वर्ष 2014–15 में चावल की खरीद 50 किग्रा0 भरती के नये एस0बी0टी0 बोरों में की जायेगी, जिनकी मशीन में दोहरी सिलाई अनिवार्यतः की जायेगी। लेवी चावल भरने हेतु नये बोरों की व्यवस्था चावल मिल द्वारा स्वयं की जायेगी। चावल मिलों द्वारा लेवी में दिये जाने वाले नये बोरे बी0आई0एस0 मानक के अनुरूप होंगे। यदि

चावल मिलर द्वारा अधोमानक बोरों का प्रयोग किया जाता है, तो चावल के लाटों की डिलीवरी स्टेटपूल डिपो प्रभारियों द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि भविष्य में किसी भी स्टेटपूल गोदाम में निरीक्षण के दौरान अधोमानक बोरे संग्रहीत पाये जाते हैं तो सम्बन्धित स्टेटपूल डिपो प्रभारी/क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा बोरों के मूल्य की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

20 चावल के भरे बोरों पर स्टैंसिलिंग, कोडिफिकेशन और लाट संख्याकन :–

20.1 चावल के भरे हुए बोरों पर मिलर द्वारा मिल का नाम, कोड नम्बर, चावल की किस्म, शुद्ध भार तथा लाट संख्या और खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः प्रत्येक बोरे पर स्टैंसिलिंग किया जायेगा, जो कि पठनीय हो।

चावल मिलर द्वारा बोरों पर कोड नम्बर आदि अंकित न किये जाने पर उक्त लेवी चावल की डिलीवरी स्वीकार नहीं की जायेगी। चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–PY-III दिनाँक 03–03–2014 के अनुसार कलर कोडिंग निम्नानुसार की जायेगी :–

1- Colour coading or identification marking on every bag at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge shall be in " **RED** " colour.
2- Stencil or Branding as per indentors requirments shall be in " **BLUE**" colour.
3- Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "**RED**" colour.
4- A single **BLUE** stripe running along the length of the bag at ther centre shall be kept unchanged.

20.2 लेवी योजनान्तर्गत क्रय किये चावल के प्रत्येक बोरे पर स्पष्ट रूप से पठनीय लाट संख्या आदि अंकित कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक की होगी, जिसमें विफल रहने पर उसके विरूद्ध सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।

20.3 चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड/लेवी चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 से0मी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप अनिवार्य रूप से लगायी जायेगी, जिसमें चावल मिल का नाम, फसल वर्ष, कोड नम्बर, शुद्धभार, लाट संख्या एवं चावल की किस्म आदि का स्पष्ट विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

21 चावल खरीद हेतु वित्त व्यवस्था :–

21.1 खरीफ वर्ष 2014–15 में लेवी चावल की खरीद व्यवस्था के लिऐ स्टेशनरी, क्रय केन्द्रों के निरीक्षणार्थ किराये पर वाहन, पी0ओ0एल0 टेलीफोन, सरकारी गोदाम न उपलब्ध होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों का भुगतान, बोरों की आपूर्ति तथा वर्षा आदि से खाद्यान्नों के रख–रखाव के लिए तिरपाल, क्रेटस, नमी मापक यंत्र आदि क्रय किया जाना व चावल के मूल्य का भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त व्यय लेखा शीर्षक–''4408''–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनेत्तर– 01–खाद्य–101–खरीद और पूर्ति–03– अन्नपूर्ति योजना–31–सामग्री और सम्पूर्ति से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन वहन किये जायेंगे।

21.2 खाद्यान्नों के रख–रखाव के लिए तिरपाल, क्रेटस नमी मापक यंत्र आदि का क्रय तब तक न किया जाये, जब तक गतवर्ष खरीदे गये उक्त इंगित सामान एवं यंत्र का उपयोग न कर लिया जाये। इनकी खरीद आवश्यकतानुसार मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी। गत वर्षों की भाँति लेवी चावल की खरीद हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था रिजर्व बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) के आधार पर बैंक से ऋण लेकर की जायेगी। राज्य सरकार पर ऋण का भार कम से कम हो इस निमित्त यह आवश्यक है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0,बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजनाओं से प्राप्त धनराशि समय से निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा होती रहें और इनकी सूचना शासन/खाद्य आयुक्त को प्राप्त होती रहे। साथ ही सब्सिडी तथा अग्रिम सब्सिडी के बिल भारत सरकार को समय से प्रेषित किये जाँये।

21.3 उपरोक्तानुसार राज्य कोष में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्राप्तियाँ जमा करवाने, सब्सिडी के विपत्रों का यथासमय भारत सरकार को प्रेषण एवं सब्सिडी की धनराशि प्राप्त करने एवं समय से सी0सी0एल0 की प्राप्ति एवं उसकी समय से अदायगी तथा कैश फ्लो बनाने के लिए वित्त नियंत्रक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। वित्त नियंत्रक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि मिलर्स को समय से भुगतान हो तथा सी0सी0एल0 पर शासन को परिहार्य ब्याज का भुगतान न करना पड़े।

22 कठिनाइयों का निराकरण :–

लेवी चावल उद्ग्रहण से सम्बन्धित जारी की गयी इस शासकीय अधिसूचना अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन में यदि किसी समय में कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिये स्थिति स्पष्ट करने के लिये आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता हे, जो नीति विषयक हो या जिसमें

अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23 <u>चावल खरीद एवं डिलीवरी और निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा :–</u>

23.1 लेवी चावल की खरीद एवं उसके संग्रह एजेन्सी को डिलीवरी की प्रगति की समीक्षा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं संग्रह एजेन्सी के प्रबंधक द्वारा सम्भाग स्तर पर संयुक्त रूप से प्रति सप्ताह की जायेगी। स्थिति की सूचना प्रत्येक सप्ताह खाद्यायुक्त को दी जायेगी। खाद्यायुक्त द्वारा संकलित सूचना नियमित रूप से शासन को भेजी जोयेगी।

23.1 लेवी स्कीम की देख–रेख करने वाले पर्यवेक्षण अधिकारी खरीद केन्द्रों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।

23.2 खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में धान/चावल की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर एक सचल दस्ते का गठन किया जायेगा, जो कि पाक्षिक रूप से क्रय केन्द्रों एवं लेवी योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रीयकृत योजना में क्रय किये गये चावल का आकस्मिक निरीक्षण करेगें तथा इसकी मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायेगें। यह सचल दस्ता मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशन पर कार्य करेगा।

24 <u>चावल खरीद के आँकड़ों का प्रेषण :–</u>

24.1 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक लेवी चावल की खरीद की प्रगति की सूचना विगत वर्ष निर्धारित प्रारूप पर फैक्स के माध्यम से प्रभारी, नियंत्रण कक्ष, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को जो कि खाद्य आयुक्त कार्यालय, 8–ए बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून में स्थापित किया गया है तथा जिसका दूरभाष/फैक्स संख्या–0135–2740778 है, पर नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

24.2 दोनों सम्भागो के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक पाक्षिक/प्रतिमाह स्टेटपूल योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्गत चावल की प्राप्ति/निर्गमन की सूचना तथा दोनों सम्भागों के उपायुक्त (खाद्य) योजनावार मासिक वितरण की सूचना अनुवर्ती माह की अधिकतम 07 तारीख तक इस प्रमाण पत्र के साथ कि " **<u>निर्गत खाद्यान्न सम्बन्धित योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है"</u>**, वित्त नियत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि भारत सरकार से समयान्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जा सके ।

24.3 स्टेटपूल योजनान्तर्गत भण्डारित चावल का निर्गमन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ए0पी0एल0,बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदय अन्न योजनाओं के मासिक आवंटन के अनुरूप, सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन

अधिकारी द्वारा निर्गत रिलीज आर्डर के आधार पर किया जायेगा। संग्रह एजेन्सियाँ ए0पी0एल0,बी0पी0एल0 एवम् अन्त्योदंय अन्न योजनाओं के मासिक आवंटन के अनुरूप बिना रिलीज आर्डर के संग्रह डिपो से चावल का निर्गमन कदापि नहीं करेगीं।

24.4 सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) चावल की नियमित खरीद एवं मिलर को भुगतान के विवरण में निर्धारित प्रारूप में वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को भेजेंगे।

संलग्नक :– उपर्युक्त

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 276/14–XIX-2/खरीफ–खरीद/02 खाद्य/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– प्रभारी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
13– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड ।
14– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट),
उप सचिव।

संलग्नक–1

घोषणा पत्र

(बासमती तथा पूसा बासमती (1) चावल निर्यातक / गैर निर्यातक इकाइयों के लिये)

1– दिनांक ....

2– मिल का नाम ....

3– केन्द्र का नाम / जनपद / सम्भागीय खाद्य नियंत्रक..........

4– मिल में सग्रंहित बासमती / पूसा बासमती
(1)चावल की कुल मात्रा..........

5– (अ) मिल द्वारा निर्यात की जाने वाली मात्रा..........
(ब) मिल द्वारा गैर निर्यात (स्थानीय बाजार) में विक्रय किये जाने वाली मात्रा ....
....

6– मिल में अवशेष बासमती / पूसा बासमती (1)
चावल की अवशेष मात्रा ....

7– प्राप्तकर्ता का नाम व पता ....

8– ट्रक संख्या / ड्राइवर का नाम ....

9– निर्यात की जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में बिल आफ
लोडिंग फार्म–15 एच संलग्न किये जाते हैं. ....

10– (अ) विगत माह में बासमती तथा पूसा बासमती (1)
चावल की निर्यात की गयी कुल मात्रा ....
(ब) विगत माह में गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
में विक्रय किये गये कुल चावल की मात्रा..........

11– मिल द्वारा निर्मित अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
में बिक्री की गयी कुल मात्रा..........

12– (अ) मिल द्वारा अब तक निर्यात की गयी कुल मात्रा..........
(ब) मिल द्वारा अब तक गैर निर्यात (स्थानीय बाजार)
में बिक्री की गयी कुल मात्रा..........

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान के अनुसार सही है । अतएव सूचना देने अथवा शासनादेश का उल्लघंन करने पर मेरे विरूद्व संगत नियमों, उप नियमिों एवं आई0पी0सी0 की संगत धाराओं के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गयी छूट के भुगतान का दायित्व मय ब्याज एवं दण्डभार सहित वसूलने का अधिकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को होगा ।

हस्ताक्षर
केन्द्र प्रभारी का नाम हस्ताक्षर सहित

मिल का नाम व पता
(मुहर सहित)

संलग्नक–2

मूवमेन्ट चालान

विभाग का नाम :– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
सम्भाग :–
जनपद :–
बुक संख्या.......... क्रमांक..............................

1. प्रेषण की तिथि/समय ....
2. प्रेषक केन्द्र का नाम ....
3. प्राप्तकर्ता केन्द्र का नाम ....
4. ट्रांसपोर्टर का नाम ....
5. ट्रक संख्या ....
6. ट्रक चालक का नाम ....
7. खाद्यान्न का नाम एवं किस्म ....
8. बोरों की संख्या एवं किस्म ....
9. प्रेषित नेट वजन ....
10. लाट संख्या ....
11. विश्लेषण परिणाम ....
12. प्राप्तकर्ता केन्द्र पर प्राप्ति तिथि/समय ....

प्रेषक केन्द्र के निरीक्षक का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

प्राप्ति डिपो/गोदाम पर प्राप्त खाद्याान्न का विवरण

चावल/परिवहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता/अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

संलग्नक–3

चावल की खरीद एवं मिलर को भुगतान का विवरण
खरीफ क्रय योजना 2013–2014

सम्भाग का नाम

विवरण की तिथि–

(मात्रा मी0टन में, धनराशि लाख रूपये में)

क्रमाक	विवरण	मात्रा	धनराशि
1	कुल क्रय मात्रा		
2	भुगतान की धनराशि		
3	भा0खा0नि0 को प्रेषित मात्रा		
4	स्टेटपूल में संग्रहीत मात्रा		
	एस0डब्लू0सी0		
	सी0डब्लू0सी0		
5	भा0खा0नि0 से प्राप्त एकनालेजमेन्ट		
6	भा0खा0नि0 पर अवशेष एकनालेजमेन्ट की मात्रा		
7	भा0खा0नि0 को प्रेषित विपत्रों की मात्रा		
8	भा0खा0नि0 को प्रेषित विपत्रों की धनराशि		
9	भा0खा0नि0 से प्राप्त भुगतान की धनराशि		
10	भा0खा0नि0 पर अवशेष भुगतान की मात्रा		
11	भा0खा0नि0 से अवशेष भुगतान की धनराशि		
12	भा0खा0नि0 द्वारा की गई कटौती की धनराशि		
13	भा0खा0नि0 द्वारा वापस विपत्रों की मात्रा		
14	भा0खा0नि0 द्वारा वापस विपत्रों की धनराशि		

संभागीय लेखाधिकारी,
........संभाग....... ।